फा.सं. 6/41/2012-एफआई

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

तीसरा तल, जीवन दीप भवन,

नई दिल्ली, दिनांक: 20.02.2013

सेवा में,

1. सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय बैंक संघ।

विषयः **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण - बैंक खातों को आधार नम्बर से जोड़ना।**

महोदय/महोदया,

विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार 43 पायलट जिलों में लाभार्थी खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि बहुत से जिलों में प्राप्त विवरण एवं बैंक खातों में जोड़े गए आधार के बीच में बहुत अंतर है।

2. उन जिलों में जहां बैंकों को अग्रणी बैंक का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है, में अग्रणी जिला प्रबंधकों को बैंकों द्वारा विशेष निदेश जारी करना अपेक्षित हैः

(i) लाभार्थियों, उनका खाता और आधार संख्या का ब्यौरा इलेक्ट्रानिक रूप में प्राप्त करने के लिए जिला क्लेक्टर से निकटतम समन्वय करना। योजना आयोग ने दिनांक 08.01.2013 को कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-11011/40/2012-डीसीटी द्वारा व्यापक निदेश जारी किए हैं।

(ii) एलडीएम को बिना किसी विलम्ब के जिलों में विभिन्न बैंकों को बैंक-वार सूचना देनी चाहिए।

(iii) एलडीएम को खातों में 'आधार' को जोड़ने और इनकी अस्वीकृति के कारणों के संबंध में फीडबैक प्राप्त करने चाहिए।

(iv) अस्वीकृति से संबंधित मामलों को संशोधन के लिए तुरन्त ही जिला क्लेक्टरों/विभागों को भेजा जाना चाहिए।

3. बैंकों को अपनी सभी शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह देनी चाहिए किः

(i) एलडीएम के जरिए प्राप्त लाभार्थियों के आधार विवरण को उसी दिन बैंक खाता में जोड़ा जाए।

(ii) एलडीएम को वापस स्थिति की जानकारी देना। अस्वीकृति से संबंधित मामलों में कारण बताए जाने चाहिए।

4. बैंकों को यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि जिन बैंक खातों को आधार से जोड़ा गया है उनका ब्यौरा प्रत्येक दिन की समाप्ति पर एनपीसीआई के मैपर में मानचित्रित किया जाए।

5. दिनांक 22.02.2013 को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान सचिव (वित्तीय सेवाएं) भी इस मामले पर विचार-विमर्श करेंगे।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार